

# कार्यालय अंचल अधिकारी, करी।

आदेश फलक .

अभिलेख वाद सं०—...269/2016-17

वाद का प्रकार:— बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित

| आदेश का क्रमांक सं० एवं तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर  | की गई कार्रवाई की टिप्पणी        |
|------------------------------|--|----------------------------------|
| <p>19.10.2020</p>            | <p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-03 खा०म०निति-119/85/2308/रा० दिनांक:- 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०-914/रा०, दिनांक:-09.12.1198 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-<br/> मौजा <u>खुर्दा</u> थाना नं० <u>09</u> खाता नं० <u>55</u> खेसरा नं० <u>1250</u>,<br/> <u>147, 959, 1168</u> रकबा <u>0.35, 0.14, 0.22, 0.72</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ<br/> खास अनावाद बिहार (झारखण्ड)के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी- II के जिल्द संख्या <u>2</u> के पृष्ठ संख्या <u>92</u> पर जमाबंदी रैयत <u>प.दर.४५</u><br/> <u>प्राण</u><br/> ...पिता/पति <u>श्री. श्री. प्राण प्राण</u> के नाम से कायम है।<br/> हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।<br/> हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य का क्षति कारित करना है।<br/> प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।<br/> अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी का अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950,की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय।<br/> अभिलेख दिनांक <u>28/10/2020</u> को रखें।<br/> लेखीपति एवं संशोधित<br/> अंचल अधिकारी<br/> करी।</p> | <p>की गई कार्रवाई की टिप्पणी</p> |

अंचल अधिकारी  
करी।

| आदेश का क्रमांक/तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर   | की गई कार्रवाई पर टिप्पणी |
|----------------------|---|---------------------------|
| 05.11.2020           | <p>अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत के द्वारा उपस्थित दी गई है। जमाबंदी रैयत पतरस पाहन पिता कृतो धाम पाहन के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में सरकारी लगान रसीद सं० 280818 वर्ष 1984-85 छाया प्रति प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है ,</p> <p>जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा इटठे थाना नं० 09 के सर्वे खतियान में खाता सं० 55 प्लॉट 1250, 147, 959 एवं 1168 कुल रकबा 1.43 एकड़ भूमि गौरमजुरुआ खास दर्ज है।</p> <p>राजस्व मांग पंजी II भाग I के पृष्ठ सं० 92 पर खाता सं० 55 कुल रकबा क्रमशः 1.43 एकड़ पतरस पाहन पिता कृतो धाम पाहन के नाम से दर्ज है। भू-दान वितरण पंजी में पतरस पाहन पिता कृतो धाम पाहन का नाम दर्ज है। किन्तु सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। प्रश्नगत भूमि पर संबंधित पक्ष का लगभग 45 वर्षों से अधिक समय से दखल-कब्जा है। हैं। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा खाता सं० 210 प्लॉट 2327 रकबा 1.43 एकड़ भूमि की जमाबंदी को नियमितिकरण करने का अनुशंसा किया गया है।</p> <p>राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर इस वाद की कार्रवाई तत्काल समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित्र संशोधित।</p> <p>अंचल अधिकारी<br/>करा।</p> <p>अंचल अधिकारी<br/>करा।</p> |                           |